BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 646 OF 2025

IN THE MATTER OF:

RUPESH KUMAR & ORS **.....APPLICANT(s)**

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. **.....RESPONDENT(s)**

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Reply Affidavit of District Magistrate Meerut in compliance of order dated 23.12.2025 passed by this Hon'ble Tribunal	
2.	**Annexure R-1: -** A copy of letter dated 07.03.2026.	
3.	**Annexure R-2: -** A copy of report dated 13.03.2026.	

DATED: - 31.03.2026

FILED THROUGH

Ankit Verma

(ANKIT VERMA)

STANDING COUNSEL STATE OF UP

A-15 FF, NIZAMUDDIN EAST, NEW DELHI- 110013

MOB:- 09990804440

Email-ankit.scngtup@gmail.com

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 646 OF 2025

IN THE MATTER OF:

RUPESH KUMAR & ORS ..... **APPLICANT(s)**

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. ..... **RESPONDENT(s)**

REPLY AFFIDAVIT OF DISTRICT MAGISTRATE MEERUT, IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 23.12.2025 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL

The Respondent No. 2 herein states as under:

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

I, Dr. Vijay Kumar Singh aged about 54 years, S/o Late Shri Parmanand Singh presently posted as District Magistrate – Meerut, the deponent, do hereby solemnly state and affirm as under:-

1. That I am the above-mentioned officer of answering Respondent No. 2 and is duly competent to file the present reply affidavit. That the Deponent is well conversant with the facts and the circumstance of the instant case and is competent to swear this affidavit.

2. That the Deponent has read and understood the contents of the present reply affidavit. The averments made in the Original Application, which are not specifically admitted

hereunder must be considered to have been denied by the Deponent.

3. That the contents of the present reply affidavit have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed there from.

4. That the Deponent is posted as District Magistrate- Meerut, since 18.01.2025 and is swearing this affidavit in his official capacity.

5. That this Hon'ble Tribunal vide its order dated 23.12.2025 was pleased to issue the following directions: -

   ".....6 In view of the averments in the application, we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttar Pradesh through Principal Secretary, Environment, Forest and Climate Change, Government of U.P. (2) District Magistrate, Meerut (3) State Wetland Authority, (4) District Wetland Committee, (5) Divisional Forest Officer, Meerut (6) Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) through Member Secretary who are impleaded as respondents No. 1 to 6.........."

NOTARY ATTESTED SHAKIR HUSAIN ADVOCATE, MEERUT Regn. No.-4410 GOVT. OF INDIA

6. That the present response is being filed in respectful compliance of the order dated 23.12.2025 passed by this Hon'ble Tribunal, in this present Original Application.

7. That the instant Original Application has been filed by the applicants alleging encroachments and raising of illegal constructions on pond situated within the area of Nagar Panchayat, Karnawal, District Meerut.

8. That the aforesaid pond is situated on the land of Nagar Panchayat Tehsil Sardana, District Meerut on khasra no.199 admeasuring 5.2607 hectares.

9. That in compliance of order dated 04.02.2026 passed by this Hon'ble Tribunal the deponent herein vide his office letter no.726/LBC-21/Misc/NP Karnawal/NGT/2025-2026 dated 07.03.2026 directed the Executive Officer Nagar Panchayat Tehsil Sardhana, District Meerut to submit a factual report with regards to marking of the pond, geo tag, UID Number, list of drains discharging in the pond and the quantity of effluents, status of removal of encroachments and proceedings under section 67 of the U P Revenue Code and status of plantation alongside the pond. A copy of letter dated 07.03.2026 is annexed herewith and marked as **Annexure R-1.**

10. That the Executive Officer Nagar Panchayat Tehsil Sardhana, District Meerut vide his office letter no.407/ N P/ Karnawal/2025-2026 dated 13.03.2026 submitted his report and informed that the plastic waste floating in the pond has

been removed and cleaned. It has been further informed that only domestic effluent from the households is being discharged which will be treated by constructing 1.57 MLD used water management/STP Plant, DPR of which has been submitted to the State Government for obtaining necessary funds. No industrial effluent is being discharged. At present no concrete or debris material is found in or near the pond. Further proceedings for removal of encroachments under Section 67 of the U.P. Revenue Code have been initiated and are presently pending details of which are enclosed with the report dated 13.03.2026 submitted by the Executive Officer Nagar Panchayat Tehsil Sardhana, District Meerut. A copy of report dated 13.03.2026 is annexed herewith and marked as **Annexure R-2.**

NOTARY ATTESTED SHAKIR HUSAIN ADVOCATE, MEERUT Regn. No.-4410 GOVT. OF INDIA

11. That the deponent most respectfully submits before this Hon'ble Tribunal that all earnest measures are being undertaken to ensure that the ponds are not encroached and are restored to their original nature.

12. That the present response may be taken on record by this Hon'ble Tribunal, in the interest of justice.

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at....Meerut...., on ...30th March 2026 that the contents of the paras 1 to of this affidavit are true and correct to the best of my knowledge. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

NOTARY ATTESTED SHAKIR HUSAIN ADVOCATE, MEERUT Regn. No.-4410 GOVT. OF INDIA

Certified that Shri Dr. Vijay Kumar Singh
Resident of S/o late Shri Dharmapal Singh
Identified by Posted at District Magistrate Meerut
Sworn the contents of this affidavit
oath before me....30/3/2026..........
ATTESTED 30/03/26
NOTARY

B/H-13-3-26

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
मेरठ।

सेवा में,

स्थायी अधिवक्ता,
स्टेट ऑफ यू0पी0
राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली।

संख्या 726 /एल0बी0सी0–21/मिस0–न.पं.करनावल–एन.जी.टी./2025–26 दिनांक 07 –03–2026

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–646/2025 रूपेश कुमार व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.02.2026 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 19.02.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–646/2025 रूपेश कुमार व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.02.2026,जो नगर पंचायत करनावल में तालाब की भूमि पर अतिक्रमण एवं अनाधिकृत निर्माण किए जाने के सम्बन्ध में हैं, जिसकी छायाप्रति संलग्न प्रेषित करते हुए प्रश्नगत प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.02.2026 के अनुपालन में कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या उपलब्ध कराने हेतु अधिशासी अधिकारी,नगर पंचायत करनावल जनपद मेरठ को निर्देशित किए जाने के अनुक्रम में अधिशासी अधिकारी,नगर पंचायत करनावल ने अपने पत्र संख्या–401/न0पं0करनावल/2025–26 दिनांक 28.02.2026 के द्वारा कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या/कार्ययोजना इस कार्यालय को उपलब्ध करायी है।

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–646/2025 रूपेश कुमार व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.02.2026 के अनुपालन में अधिशासी अधिकारी,नगर पंचायत करनावल के पत्र संख्या–401/न0पं0करनावल/2025–26 दिनांक 28.02.2026 के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी अनुपालन आख्या/कार्ययोजना संलग्न कर इस आशय से प्रेषित हैं कि कृपया प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,नई दिल्ली के समक्ष तथ्य् प्रस्तुत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक :–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डा0 वी0के0 सिंह)
जिलाधिकारी,मेरठ।

संख्या व दिनांक :–उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :–(1)क्षेत्रीय अधिकारी,उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मेरठ को अधिशासी अधिकारी,नगर पंचायत करनावल के पत्र संख्या–401/न0पं0करनावल/2025–26 दिनांक 28.02.2026 के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी अनुपालन आख्या/कार्ययोजना की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(2)अधिशासी अधिकारी,नगर पंचायत,करनावल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–646/2025 रूपेश कुमार व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.02.2026 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी की ओर से कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या/कार्ययोजना स्थायी अधिवक्ता,स्टेट ऑफ यू0पी0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,नई दिल्ली को तत्काल उपलब्ध कराकर,प्रकरण में अपने स्तर से प्रभावी पैरवी करना सुनिश्चित करें।

(डा0 वी0के0 सिंह)
जिलाधिकारी,मेरठ।

NOTARY
ATTESTED
SHAKIR HUSAIN
ADVOCATE, MEERUT
Regn. No.-4410
GOVT. OF INDIA

13/3/26

कार्यालय नगर पंचायत करनावल (मेरठ)

पत्रांकः 407/न0पं0 करनावल/2025–26 दिनांक 13.03.2026

सेवा में,

जिलाधिकारी
मेरठ।

विषय : **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ.ए. संख्या–646/2025 रुपेश कुमार व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.02.2026 के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या 706/एल.बी.सी.–21/मिस–न.पं. करनावल–एन.जी.टी./2025–26 दिनांक 25.02.2026 व 733/एल.बी.सी.–21/मिस–न.पं. करनावल–एन.जी.टी./2025–26 दिनांक 10.03.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ.ए. संख्या–646/2025 रुपेश कुमार व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.02.2026, जो नगर पंचायत करनावल में तालाब की भूमि पर अतिक्रमण एवं अनाधिकृत निर्माण किए जाने के सम्बन्ध में हैं, जिसकी छायाप्रति संलग्न करते हुए प्रश्नगत प्रकरण में स्थायी अधिवक्ता, स्टेट ऑफ यू.पी. राष्ट्रीय हरित अधिकरण के पत्र दिनांक 19.02.2026 व पत्र दिनांक 09.03.2026 के द्वारा मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.02.2026 के अनुपालन में कृत कार्यवाही की आख्या मा0 एन.जी.टी. न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं, के अनुपालन इस कार्यालय के पत्र संख्या 401 दिनांक 28.02.2026 के द्वारा प्रेषित आख्या को संशोधित करते हुए कृत कार्यवाही की यथासंशोधित अनुपालन आख्या/कार्ययोजना संलग्न कर आपकी सेवा में सादर प्रेषित हैं।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

13.3.26

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत करनावल
(मेरठ)

प्रतिलिपि – निम्न को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. उपजिलाधिकारी महोदय, सरधना (मेरठ)
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत करनावल
(मेरठ)

NOTARY
ATTESTED
SHAKIR HUSAIN
ADVOCATE, MEERUT
Regn. No.-4410
GOVT. OF INDIA

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ.ए. संख्या–646/2025 रुपेश कुमार व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.02.2026 के अनुपालन / कार्ययोजना के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक स्थायी अधिवक्ता, स्टेट ऑफ यू.पी., राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के दिनांक 06.02.2026 के ई–मेल का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसमें मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ.ए. संख्या– 646/2025 श्री रुपेश कुमार व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.02.2026, जो नगर पंचायत करनावल में तालाब की भूमि पर अतिक्रमण एवं अनाधिकृत निर्माण किए जाने के सम्बन्ध में हैं, मा0 न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रकरण में कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या जिलाधिकारी महोदय, मेरठ की ओर से 01 माह के अन्दर मा0 एन.जी.टी. न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं, मा0 न्यायालय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 04.02.2026 जो इस प्रकार हैं – "8. Responses by respondents no. 1 to 5 and 7 may be filed within four weeks. 9. Respondents no. 1 to 5 and 7 are directed to comply with the directions given by Hon'ble Supreme Court in **Hinch Lal Tiwari Vs. Kamla Devi (2001) 6 SCC 496** and **Jagpal Singh Vs. State of Punjab (2011) 11 SCC 396** and directions given by this Tribunal in **O.A. No. 325/2015 titled Lt. Col. Sarvadaman Singh Oberoi vs Union of India and others** vide order dated 18.11.2020 and **Original Application No. 929/2024, National Green Tribunal Vs State of Uttar Pradesh and others** vide order dated 06.11.2025 and also to take remedial steps for removal of solid waste including plastic waste, construction and demolition waste and other municipal waste within one month and to mention action taken by them in compliance of the directions in their responses with all requisite details. 10. List on 06-04-2026 for further orders/ proceedings." के द्वारा अनुपालन आख्या/कार्ययोजना हेतु निर्देशित किया गया हैं, कार्ययोजना/अनुपालन से सम्बन्धित बिन्दु निम्नवत हैं –

1– मा0 न्यायालय, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 23.12.2025 द्वारा श्री रुपेश कुमार व अन्य के याचिका पत्र संख्या 15.07.2025 जो कि नगर पंचायत करनावल (मेरठ) में सरधना रोड़ स्थित तालाब में अवैध रुप से कंक्रीट एवं पत्थर ड़ालकर तालाब को पाटने के सम्बन्ध में शिकायत को ओ.ए. संख्या 646/2025 के रुप में वाद योजित किया गया हैं। जिसके लिए प्रतिवादी संख्या 01 से 06 को अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया।

2– उपरोक्त निर्देशों के अनुक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड, मोदीपुरम, मेरठ के पत्र संख्या 1753/GIOA646/2025/MRT/2026 Date 28-01-26 द्वारा आख्या प्रेषित।

3–मा0 न्यायालय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 04.02.2026 के द्वारा अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत करनावल (मेरठ) को प्रतिवादी संख्या 07 योजित किया गया।

4– उपरोक्तानुसार मा0 न्यायालय के आदेशानुसार व क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण बोर्ड, मोदीपुरम, मेरठ के पत्र संख्या 1753/GIOA646/2025/MRT/2026 Date 28-01-26 के क्रम में कार्यालय जिलाधिकारी महोदय, मेरठ के पत्र संख्या 658/एल.बी.सी.–21/मिस.–न.पं.करनावल/2025–26 दिनांक 10.02.2026 अनुपालन में नियमानुसार यथासंशोधित कार्ययोजना/अनुपालन आख्या निम्न प्रकार आपकी सेवा में सादर प्रस्तुत हैं –

1. सन्दर्भित तालाब नगर पंचायत करनावल तहसील सरधना जनपद मेरठ की सीमा में निर्देशांक 29.106670, 77.525377 स्थित हैं, तालाब के पानी में बिखरे हुए प्लास्टिक वेस्ट की सफाई करा दी गयी हैं। जी.पी.एस. फोटोग्राफस संलग्न हैं।

2. तालाब में वर्षा जल तथा नगर पंचायत करनावल की आबादी का घरेलू उत्प्रवाह निस्तारण होता हैं, घरेलू उत्प्रवाह के पानी के ट्रीटमेन्ट हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या 322 दिनांक 20.03.2025 के द्वारा 1.57 एम. एल.ड़ी. यूज्ड़ वाटर मैनेजमेण्ट/एस.टी.पी. प्लान्ट की ड़ी.पी.आर. धनराशि अंकन 392.89 लाख तैयार कराकर शासन को धनराशि आवंटन के लिए प्रस्ताव प्रेषित किया गया हैं, धनराशि आवंटन उपरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। प्रस्ताव की छायाप्रति संलग्न।

3. निकाय में कोई भी औद्योगिक/व्यवसायिक प्रतिष्ठान का उत्प्रवाह निस्तारित नहीं होता हैं।
4. प्रस्तावित यूजड़ वाटर मैनेजमेण्ट/एस.टी.पी. प्लान्ट के द्वारा घरेलू उत्प्रवाह का जल शोधन कराया जायेगा।
5. निकाय में कोई भी औद्योगिक/व्यवसायिक प्रतिष्ठान का उत्प्रवाह निस्तारित न होने के कारण उक्त बिन्दु पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं हैं।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत करनावल
(मेरठ)

NOTARY
ATTESTED
SHAKIR HUSAIN
ADVOCATE, MEERUT
Regn. No.-4410
GOVT. OF INDIA

6. मा0 अधिकरण द्वारा पूर्व में ओ.ए. संख्या –325/2015, कर्नल सर्व दमन सिंह ओबेराय बनाम भारत सरकार व अन्य पारित आदेश दिनांक 18.11.2020 के अनुपालन में "तालाबों, झीलों एवं आर्द्रभूमियों के पुनर्जीवन कार्य योजना निरुपण हेतु दिग्दर्शिका" के अनुसार फाईटोरेमिडियेशन तकनीक के द्वारा नालों से निस्तारित प्रदूषित जल का शोधन कुछ विशेष प्रजाति के जलीय पौधो द्वारा किया जायेगा। इसके अतिरिक्त निम्न कार्य भी करा दिये गये हैं –
   - तालाब क्षेत्र की मार्किंग की गयी हैं। यह भी अवगत कराना हैं कि मा0 न्यायालय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेशानुसार / शासनादेशानुसार पूर्व में ही सन्दर्भित तालाब की जियो टैगिंग कर विशिष्ट पहचान संख्या (**UIN 090701530712087 1202 29°6' 21.186" N 77°31' 37.275" E 3.8387 KARNAWAL RURAL SARURPUR KHURD SARDHANA MEERUT**) आवंटित हो चुकी हैं।
   - प्लास्टिक वेस्ट की सफाई करा दी गयी। फोटोग्राफस संलग्न।
   - तालाब में उगे खर–पतवार की सफाई करा दी गयी हैं। फोटोग्राफस संलग्न।
   - तालाब में मिलने वाले नाले पर स्क्रीन/जाली की स्थापना करा दी गयी हैं। सन्दर्भित तालाब में किसी भी बड़े नाले का सीवरेज प्रवाहित नहीं होता हैं, बल्कि एक छोटे से नाला/नाली के द्वारा घरेलू सीवरेज प्रवाहित होता हैं। निकाय में प्रस्तावित 1.57 एम.एल.डी़ एस.टी.पी. प्लान्ट हेतु तैयार डी़.पी.आर. के अनुसार सन्दर्भित तालाब में लगभग 0.32 एम.एल.डी़. घरेलू सीवरेज प्रवाहित होता हैं। प्रस्तावित डी़.पी. आर. के अंश की छायाप्रति संलग्न।

7. वर्तमान में तालाब में किसी भी प्रकार के ठोस अपशिष्ट, मलबा व कंक्रीट उपलब्ध नहीं हैं तथा भविष्य में सन्दर्भित तालाब में ठोस अपशिष्ट को रोकने के लिए तालाब पर जाल वाली फैंसिंग लगाये जाने के लिए अवस्थापना निधि के अन्तर्गत कार्य जिलाधिकारी महोदय, मेरठ की अध्यक्षता में समिति के अनुमोदन हेतु वर्तमान में प्रस्तावित हैं। (प्रस्ताव की छायाप्रति संलग्न) उक्त तालाब का निरीक्षण कार्यालय क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ द्वारा दिनांक 28.02.2026 को करा दिया गया हैं। (जियो टैग फोटोग्राफस संलग्न)

8. तालाब पर कथित अवैध कब्जा हटवाये जाने हेतु सम्बन्धित अवैध कब्जेदारो के विरुद्ध राजस्व संहिता की धारा–67 के अन्तर्गत इस कार्यालय के पत्र संख्या 205 दिनांक 08.09.2025 व पत्र संख्या 405 दिनांक 09.03.2025 का संज्ञान लेकर पैमाईश उपरान्त वाद संख्या टी. 202611520402831 वर्ष 2026, वाद संख्या टी. 202611520402832 वर्ष 2026, वाद संख्या टी. 202611520402833 वर्ष 2026, वाद संख्या टी. 202611520402834 वर्ष 2026 आदि वाद दायर कर कार्यवाही प्रगति पर हैं।

9. यह भी अवगत कराना हैं कि वर्षा जल संचयन हेतु सन्दर्भित तालाब में कोई अवरोध नहीं हैं।

10. प्रश्नगत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण हेतु स्थल चिन्हित कर लिया गया हैं, वृक्षारोपण महाभियान के अन्तर्गत वृक्षारोपण कराया जायेगा।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत करनावल
(मेरठ)

NOTARY
ATTESTED
SHAKIR HUSAIN
ADVOCATE, MEERUT
Regn. No.-4410
GOVT. OF INDIA

सफाई पूर्व तालाब के फोटोग्राफस

NOTARY
ATTESTED
SHAKIR HUSAIN
ADVOCATE, MEERUT
Regn. No.-4410
GOVT. OF INDIA

सफाई पूर्व तालाब के फोटोग्राफस

NOTARY
ATTESTED
SHAKIR HUSAIN
ADVOCATE, MEERUT
Regn. No.-4410
GOVT. OF INDIA

वर्तमान फोटोग्राफस

NOTARY ATTESTED SHAKIR HUSAIN ADVOCATE, MEERUT Regn. No.-4410 GOVT. OF INDIA

वर्तमान फोटोग्राफस

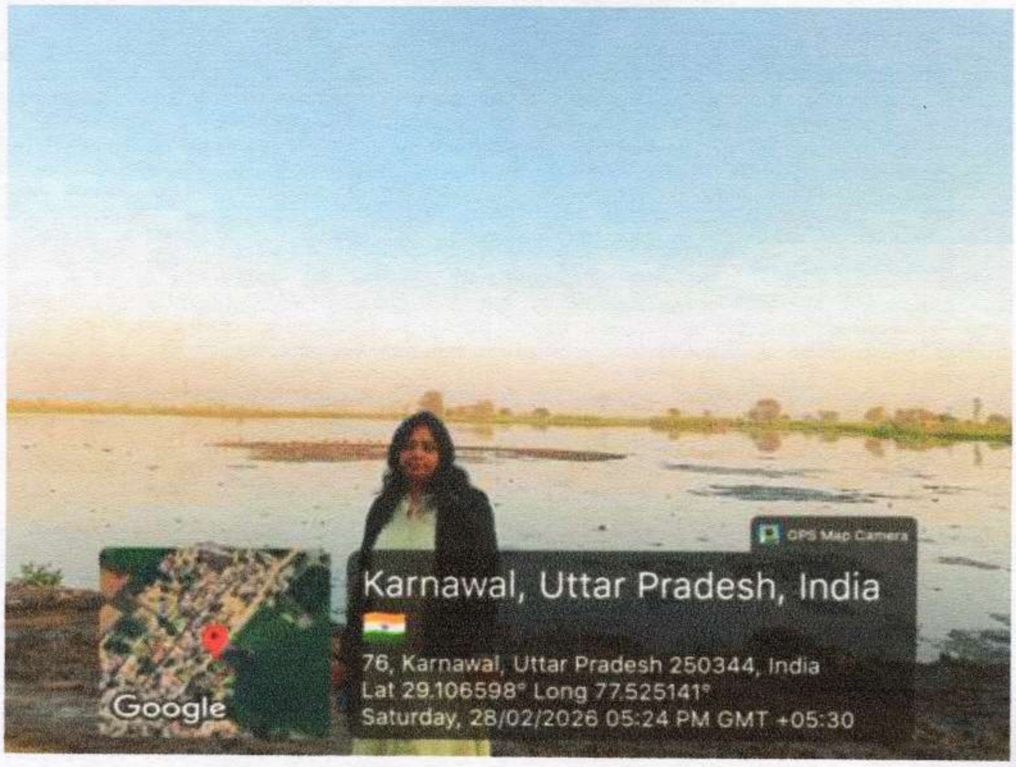

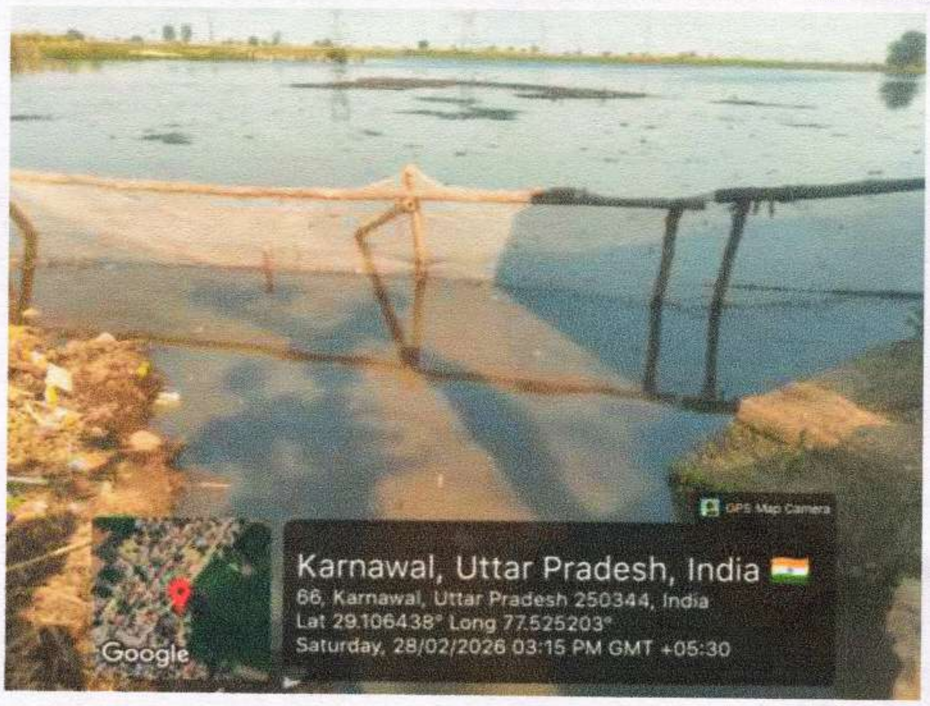

NOTARY
ATTESTED
SHAKIL HUSAIN
ADVOCATE, MEERUT
Regn. No.-4410
GOVT. OF INDIA

कार्यालय नगर पंचायत करनावल (मेरठ)

पत्रांक : 322./न0पं0क0/2024–25 दिनांक 22.03.2025

सेवा में,

निदेशक
स्थानीय निकाय निदेशालय
सेक्टर–7, गोमती नगर–विस्तार
लखनऊ।

विषयः नगर पंचायत करनावल में 1.57 MLD यूज्ड वाटर मेनेजमेन्ट (UWM)/एस0टी0पी0 प्लान्ट की डी0पी0आर0 की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि इस निकाय का गठन दिनांक 27.10.1971 को हुआ हैं, जो महाभारतकालीन कस्बा है तथा यह पंचम श्रेणी की नगर पंचायत हैं। इस निकाय की जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार 11663 हैं तथा क्षेत्रफल 3.00 वर्ग किमी0 हैं। नगर पंचायत करनावल जनपद मेरठ एक विकासशील नगर पंचायत हैं, जिसकी आबादी दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। यह निकाय कृषि प्रधान नगर पंचायत हैं जिसमें 80 प्रतिशत किसान लोग निवास करते हैं। देहाती कस्बा होने के कारण निकाय में आय के संसाधन सीमित हैं। इसलिए कस्बे के विकास हेतु आपके द्वारा समुचित सहयोग देकर विकास कराया जाना अपेक्षित हैं। इसी क्रम में नगर पंचायत करनावल (मेरठ) में यूज्ड वाटर मेनेजमेन्ट हेतु आदित्य कन्सलटिंग एण्ड इंजीनियरिंग सर्विस द्वारा 1.57 MLD यूज्ड वाटर मेनेजमेन्ट (UWM)/एस0टी0पी0 प्लान्ट की डी0पी0आर0 धनराशि अंकन रू 392.89 लाख तैयार की गई हैं, जो साथ में संलग्न हैं, कस्बे के विकास हेतु आवश्यक एवं प्रस्तावित हैं।

अतः आपसे अनुरोध हैं कि उपरोक्तानुसार संलग्न डी0पी0आर0 धनराशि अंकन रू 392.89 लाख स्वीकृति प्रदान करते हुए इस निकाय को धनराशि आवंटित किये जाने हेतु डी0पी0आर0 आपकी सेवा में सादर प्रेषित हैं।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

अधिशासी अधिकारी अध्यक्ष
नगर पंचायत करनावल (मेरठ)

21/03/2025

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत करनावल
(मेरठ)

NOTARY
ATTESTED
SHAKIR HUSAIN
ADVOCATE, MEERUT
Regn. No.-4410
GOVT. OF INDIA

प्रस्तावति ड़ी.पी.आर. का अंश–

Executive Summary cum Appraisal Report for Development of 1.5 MLD Used Water Management with Interception and Diversion at Nagar Panchayat Karnawal, Meerut, Uttar Pradesh

Sl. No.	Particulars	Details
1.	Name of the Project	Used Water Management (UWM)
2.	Name of the town	Nagar Panchayat (NP) Karnawal
3.	District	Meerut
4.	State	Uttar Pradesh
5.	**Basic Details of the City**	
	a) Total Area of the Project	3.0 Sq. Km
	b) Population (2011)	11663
	c) Household (2011)	2511
	d) Projected Population (2026)	13989
	e) Projected Household (2026)	5382
6.	Water Demand MLD (2026)	1.93 MLD
7.	Sewage Generation (MLD)	1.54 MLD
8.	Total Length of Sewer Network	4750 Metres
	a) Internal	3150 Metres
	b) I&D Sewer	1600 Meters
9.	**Technology and Methodology**	Interception & Diversion with Waste Stabilisation Pond
10.	Proposed Plan with Length	Intercepting Sewer with Diversion Weir
	a) RCC Pipe	1600 meters
11.	**Technology and Methodology**	
	a) *Technical Appraisal of the Project*	The design criteria outlined in the DPR follow the guidelines set forth in the CPHEEO Manual on Sewerage and Sewage Treatment, published by the Ministry of Urban Development.
	b) *Capacity of Proposed Sewage Treatment Unit*	
	i. Waste Stabilization Pond	1.25 MLD
	ii. Waste Stabilization Pond	0.32 MLD
	c) Area Requirements	
	i. Waste Stabilization Pond	4.0 Acres
	ii. Waste Stabilization Pond	1.6 Acres
12.	**Project Cost**	
	A **Construction Civil work (Attached as Annexure)**	

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत करनावल
(मेरठ)

NOTARY
ATTESTED
SHAKIR HUSAIN
ADVOCATE, MEERUT
Regn. No.-4410
GOVT. OF INDIA

अवस्थापना निधि के अन्तर्गत प्रस्तावित जाल फेंसिंग हेतु–

कार्यालय उप जिलाधिकारी, सरधना (मेरठ)

संख्या : 2056 /एस0डी0– / 2025–26 दिनांक 06.03.2026

विषय:– वित्तीय वर्ष 2024–25 के द्वितीय त्रैमास के आय–व्ययक में राज्य सरकार द्वारा संग्रहीत 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का नगर निकायों को अंतरण व्यस्थित धनराशि की स्वीकृति।

जिलाधिकारी,
मेरठ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2024–25 में 2% अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के अन्तर्गत निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0 प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या शासनादेश संख्या 8 /001 /139(2) /02 प्रतिशत अति.स्टा.शुल्क /2024–25 दिनांक 02 अप्रैल 2025 द्वितीय त्रैमास 24–25 के द्वारा अंकन 1,03,334.00 धनराशि से दिये गये निर्देशों के अनुपालन में नगर पंचायत करनावल द्वारा कराये जाने वाले कार्यों के प्रस्तुत प्रस्तावों में सम्मिलित कार्यों की प्राथमिकता एवं जन उपयोगिता के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा समीक्षा की गयी तथा मौके पर स्वयं प्रस्तावित कार्यों का सत्यापन किया गया। नगर पंचायत करनावल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में सम्मिलित कार्य प्राथमिक एवं जन उपयोगी है, जो कराये जाने आवश्यक है, जिनको कराये जाने की संस्तुति की जाती है। नगर पंचायत करनावल द्वारा प्रस्तावित कार्यों का विवरण निम्नवत है –

स्वीकृति हेतु प्रस्तावित कार्य का विवरण –

कार्य का विवरण	आगणन धनराशि
1. सरुरपुर झाल वाले रास्ते पर स्थित तालाब में कूड़ा करकट आदि से बचाने के लिए व मैन मार्किट स्थित वेस्ट टू वण्डर पार्क की सुरक्षा व संरक्षण हेतु उसके चारो ओर जाल अधिष्ठापन कार्य।	7,77,184.00

(रश्मि कुमारी)
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत करनावल
मेरठ

(उदित नारायण सेंगर)
उपजिलाधिकारी
सरधना (मेरठ)

NOTARY
ATTESTED
SHAKIR ...
ADVOCATE ...
Regn. No.-4410
GOVT. OF INDIA

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत करनावल
(मेरठ)

कार्यालय नगर पंचायत करनावल (मेरठ)

पत्रांकः **405 / न0पं0 करनावल / 2025–26** **दिनांक 09.03.2026**

सेवा में,

उपजिलाधिकारी
सरधना (मेरठ)

विषय : **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ.ए. संख्या–646 / 2025 रुपेश कुमार व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.02.2026 के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पत्र संख्या 706 / एल.बी.सी. –21 / मिस–न.पं.करनावल–एन.जी.टी. / 2025–26 दिनांक 25.02.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ.ए. संख्या–646 / 2025 रुपेश कुमार व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.02.2026, जो नगर पंचायत करनावल में तालाब की भूमि पर अतिक्रमण एवं अनाधिकृत निर्माण किए जाने के सन्बन्ध में है, मा0 एन.जी.टी. न्यायालय के अनुपालन में **इस कार्यालय के पत्र संख्या 205 दिनांक 08.09.2025** (संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि नगर पंचायत करनावल में तालाब पर अवैध कब्जा हटवाये जाने हेतु धारा–67 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने से सम्बन्धित है, के क्रम में आपको अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण मा0 न्यायालय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में वाद संख्या 646 / 2025 के रुप में योजित है तथा सन्दर्भित तालाब को कब्जा मुक्त कराया जाना अति आवश्यक है। उक्त के सन्दर्भ में तथकथित अवैध कब्जों को हटवाये जाने हेतु धारा–67 के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि उपरोक्त तथकथित अवैध कब्जों को हटवाये जाने हेतु अपने स्तर से धारा–67 के अन्तर्गत नियमानुसार वाद दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें, चूँकि वाद मा0 न्यायालय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली से सम्बन्धित है, इसलिये प्रकरण के महत्वपूर्ण श्रेणी के दृष्टिगत प्राथमिकता आवश्यक है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत करनावल
(मेरठ)

प्रतिलिपि – निम्न को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, सरधना (मेरठ)
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत करनावल
(मेरठ)

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत करनावल
(मेरठ)

NOTARY
ATTESTED
SHAKIR HUSAIN
ADVOCATE, MEERUT
Regn. No.-4410
GOVT. OF INDIA

अति आवश्यक/अतिमहत्वपूर्ण।

कार्यालय नगर पंचायत करनावल (मेरठ)

पत्रांक : 205/न0पं0क0/2025–26 दिनांक : 08.09.2025

सेवा में,

उपजिलाधिकारी
सरधना (मेरठ)

विषयः नगर पंचायत करनावल में तालाब पर अवैध कब्जा हटवाये जाने हेतु धारा–67 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना हैं कि श्री पंकज कुमार लेखपाल, प्र0 क्षेत्र करनावल व श्री कर्ण सिंह, राजस्व निरिक्षक की संयुक्त आख्या दिनांक 11.08.2025 जो कि तहसीलदार महोदय, सरधना द्वारा अग्रसारित पत्र संख्या 1858/आर.सी. दिनांक 12.08.2025 पर आपके द्वारा प्रेषित पत्र संख्या 1114/एस.टी. दिनांक 25.08.2025 जो कि करनावल अन्दर हदूद की खतौनी खाता संख्या 215 खसरा संख्या 199क रकबा 3.1994 है0 जो कि तालाब के रुप में अंकित हैं, जिस पर 1807 वर्गमीटर पर 15 व्यक्तियों का अवैध कब्जा पाया गया है के सम्बन्ध में अवगत कराना हैं कि उपरोक्त सभी कब्जे स्थायी प्रकृति के हैं, इसलिये उपरोक्त अवैध कब्जों को हटवाये जाने हेतु धारा–67 के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं।

अतः आपसे अनुरोध हैं कि उपरोक्त अवैध कब्जो को हटवाये जाने हेतु अपने स्तर से धारा–67 के अन्तर्गत नियमानुसार वाद दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

08-9-25

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत करनावल
(मेरठ)

18/09/25
SK(S)

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत करनावल
(मेरठ)

NOTARY
ATTESTED
...KIR HUSAIN
ADVOCATE, MEERUT
Regn. No. 4410
GOVT. OF INDIA